Gmail Kiran Singh <kiransingh9389752386@gmail.com>

Written Representation regarding non-compliance and submission of misleading information by the PIO in File No. S05/A/0106/2025.

1 message

Kiran Singh <kiransingh9389752386@gmail.com> 11 February 2026 at 13:41
To: hearingcourts5.upic@up.gov.in

To,

The Hon'ble State Information Commissioner (S-5), Uttar Pradesh Information Commission,

Lucknow.

Subject: Written Representation regarding non-compliance and submission of misleading information by the PIO in File No. S05/A/0106/2025.

Most Respected Sir,

In reference to the ongoing appeal, the appellant, Kiran Singh, respectfully submits the following representation regarding the deliberate failure of the Public Information Officer (PIO) to comply with the Commission's orders:

1. Deliberate Contempt of Commission's Order

- In the order dated September 11, 2025, this Hon'ble Commission categorically observed that the information previously provided by the police was "incomplete and misleading".
- Despite the Commission's explicit directive to provide the desired information and appear for the hearing on December 1, 2025, the PIO has failed to provide point-wise, accurate data.

2. Submission of Evasive and Redundant Reports

- The PIO, through the report signed by Sub-Inspector Ashish Kumar dated December 1, 2025, has reiterated the same defensive stance that the matter is "revenue-related".
- This report is a "red herring" intended to derail the RTI process, as it focuses on the appellant's land documents rather than answering specific questions about police conduct.

3. Failure to Address Specific RTI Queries

The PIO has completely evaded the following critical points of the original RTI application:

- **Police Basis (Q. 1):** The legal basis/investigative report used by the police to conclude that the path in question is a "common road".

- **Police Misconduct (Q. 2):** The legal provision justifying the detention/confinement of the appellant's family members at Krishnanagar Police Station.
- **Personnel Details (Q. 3):** Posting details of Kamla Dayal and Manoj Kumar Solanki to determine if they are influencing the investigation.

4. Prayer for Action

In light of the PIO's persistent refusal to comply with the Commission's directions, the appellant respectfully prays:

1. **Rejection of the Report:** That the misleading report dated December 1, 2025, be rejected and withdrawn.
2. **Imposition of Penalty:** That the Commission initiate penal proceedings against the PIO under **Section 20(1) and 20(2)** of the RTI Act for willfully withholding information and providing misleading facts.
3. **Direction for Information:** That the PIO be ordered to provide complete, point-wise information within a strict time frame.

Dated: February 11, 2026

Appellant: Kiran Singh

Mobile: 8687593247

MjAyNS0xMi0wMiAxOTowNDowNy45Nzk5Nw==.pdf
260K

पत्रांकः 215 / उ0प्र0सू0आ0 / ज0सू0आ0 / 2025–26 दिनांक– 19/5/ ,2026

प्रेषक,

जन सूचना अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग,
कक्ष संख्या–404 आर0टी0आई0 भवन,
विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
दूरभाष संख्या–0522–2724945

सेवा में,

सुश्री किरन सिंह,
अली नगर, सुनैहला–226001

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे।

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को संबोधित (क्रमांक आर0टी0आई–UPICM/R/2026/60247 पर पंजीकृत) आप अपने आवेदन पत्रांक व दिनांक 01.05.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप द्वारा मांगी गयी सूचना दी जाती है जो निम्नवत् हैः

मांगी गयी सूचना	सूचना
Regarding Appeal No S05/A/0106/2025, which shows a status of Disposed on April 29 2026, please provide the following information	
A- Certified Copy of the Order Provide a certified copy of the Final Reasoned Order passed by the Honourable State Information Commissioner S-5 on April 29 2026	उक्त संबंध सुनवाई कक्ष–5 द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर दिनांक 18.05.2026 संलग्न है। उक्त सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि आयोग कार्यालय आदेश दिनांक 13.11.2025 के द्वारा अभिलेखों के निरीक्षण / प्रमाणित प्रति प्रदान करने की व्यवस्था स्थापित की गयी है।
B- Officer Accountability Provide the name and designation of the official staff member responsible for uploading the final orders to the Commissions official portal for Court No S-5	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
C- Delay Justification Provide a copy of the Citizens Charter or departmental guidelines specifying the maximum time limit within which a Disposed order must be uploaded to the public portal after the hearing	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
D- Status of Representation Provide the daily progress report Action Taken Report on the representation filed by the appellant via Diary No D-010520260033 on May 1 2026	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार
E- File Inspection Under Section 2(j)(i) of the RTI Act please fix a date and time for the applicant to inspect the physical case file of Appeal No S05/A/0106/2025 to verify the presence of the signed final order	बिन्दु संख्या 1 के अनुसार

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनॉक से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते है, जिनका पता निम्नवत् हैः–

श्री तेजस्कर पाण्डेय,
उप सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग,
कक्ष सं0–410 आर0 टी0 आई0 भवन, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष संख्या–0522–2724941
संलग्नकः यथोपरि।

(मुमताज अहमद)
राज्य लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

श्रीमान जन सूचनाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी

उ0प्र0 सूचना आयोग

लखनऊ

महोदय,

आपके पत्र पत्रांक–19/उ0प्र0सू0अ0/2025–26 दिनांक–05.05.2026 में आवेदिका सुश्री किरन सिंह के आर0टी0आई0 आवेदन पत्र दिनांक–02.05.2026 के कम में अधिनियम की धारा 5(4) के तहत प्रार्थी से सूचना चाही है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदिका द्वारा अपने आवेदन पत्र में वाद संख्या एस–5/ए/0106/2025 के सम्बन्ध में सूचना चाही है जिसमें मा0 आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक–29.04.2026 को गुण–दोष के आधार पर वाद निस्तारित कर दिनांक–07.05.2026 को उक्त आदेश आयोग की वेबसाईट पर अपलोड किया जा चुका है। (छायाप्रति संलग्न)। सूचना सादर प्रेषित।

संलग्न–यथोपरि

दिनांक–18.05.2026

(निजी सचिव)
सुनवाई कक्ष संख्या एस–5

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग
7/7ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

अपील संख्या एस–05/ए/0106/2025

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
सुश्री किरन सिंह	पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ
समक्ष : श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।	

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। अपीलकर्ता अनुपस्थित है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्री विजय कुमार, निरीक्षक, थाना कृष्णानगर, लखनऊ उपस्थित हुए।

धारा	मांगी गई सूचना का सार
6(1)	आवेदक द्वारा भूमि समझौतों और पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर सड़क के स्वामित्व के संबंध में बिन्दुवार विशिष्ट की सूचना मांगी है।

पुकार करायी गयी। अपीलकर्ता अनुपस्थित है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्री विनय सिंह, पुलिस उप निरीक्षक उपस्थित हुए। प्रतिवादी पक्ष का कथन है कि अपीलकर्ता को सूचना देने के बाद से उनकी कोई आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। आयोग की पिछली सुनवाई तिथि 11.02.2026 को अपीलकर्ता को निर्देशित किया गया था कि वह प्रकरण की अगली सुनवाई तिथि पर उपस्थित होकर प्रकरण में लिखित अभिमत प्रस्तुत करें।

आदेश

पत्रावली पर भी अपीलकर्ता की कोई आपत्ति की प्रति उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को सूचनाएं प्राप्त हो गयी हैं तथा प्राप्त सूचनाओं से वह संतुष्ट हैं। ऐसे में प्रकरण को आयोग के समक्ष लंबित रखने का औचित्य नहीं रह जाता। तदनुसार वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29.04.2026

सागर

कार्यालय उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

आदेश

प्रदेश के सुदूरवर्ती जनपदों के आवेदकों को उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों/शिकायतों पर पारित आदेश की नकल/प्रमाणित प्रति की मांग किए जाने पर आवेदकों से आयोग द्वारा नकल आवेदन पर दस रुपये का टिकट प्राप्त कर उसे नकल/प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाती है। किसी आवेदक को अपनी पत्रावली का निरीक्षण करना होता है और यदि उसे निरीक्षणोपरांत अभिलेख चाहिये होते हैं तो उसको प्रति पेज हेतु 10/– रुपये का टिकट लगाकर आवेदन करना होता है, जिसके उपरांत आयोग द्वारा आवेदक को अभिलेख उपलब्ध कराए जाते हैं।

उपरोक्त के क्रम में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए जाते हैं–

1– यह कि किसी आवेदक द्वारा यदि अपने द्वितीय अपील/शिकायतों से संबंधित आदेश की नकल/प्रमाणित प्रति की मांग की जाती है तो आवेदक से आवेदन लेकर प्रभारी, CRM अनुभाग द्वारा आदेश की प्रति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रमाणित करके अपने हस्ताक्षर करते हुए आवेदक को प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाएगी। यदि आवेदक का कोई प्रतिनिधि नकल प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए नकल की प्रमाणित प्रति प्रदान की जायेगी।

2– यह कि किसी आवेदक को अपनी पत्रावली का निरीक्षण व उक्त पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों की प्रति प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री मुमताज अहमद, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिखित अनुमति और नकल की प्रमाणित प्रति पर हस्ताक्षर/मुहर के उपरान्त प्रदान की जायेगी। श्री मुमताज अहमद, प्रशासनिक अधिकारी नकल अनुभाग का प्रभारी नियुक्त किया जाता है।

13.11.25

3– यह कि प्रभारी नकल अनुभाग द्वारा पत्रावली के निरीक्षण और निरीक्षणोंपरांत दिए जाने वाले अभिलेखों के संबंध में रजिस्ट्रार से समन्वय स्थापित करते हुए ही पत्रावलियों का निरीक्षण व नकल की प्रति आवेदक को दी जायेगी।

4– यह कि किसी आवेदक द्वारा आयोग से प्राप्त किए जाने वाले अन्य प्रपत्रों की नकल यदि चाही गई है और उनकी संख्या 3 पृष्ठ से अधिक है तो आवेदक को प्रत्येक पृष्ठ हेतु रु0 3/–प्रति कोर्ट फीस स्टाम्प के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा।

(डॉ राजकुमार विश्वकर्मा)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

पत्रांक 249/उ0प्र0सू0आ0/अधिष्ठान/146/2014
दिनांक: नवम्बर 13, 2025

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

1– समस्त सूचना आयुक्त गण, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0।
2– सचिव, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0।
3– रजिस्ट्रार, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0।
4– उप सचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0।
5– प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी सीआरएम/सहायक लेखा/नाज़िर।